POSTAL REG.NO. RJ/JPC/M-28/2009-11 (RNI. REG. NO. 39658/83)

कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 जून, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 जून, 2011

मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

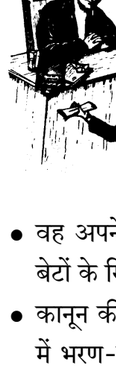

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! प्रदेश में भूमिगत जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। अनेक स्थानों पर जल स्तर एक साल में गिर कर 2 से 4 मीटर तक नीचे जा रहा है। गांवों में तो स्थिति काफी भयावह है। वहां पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की समस्या विकट रूप धारण करती जा रही है।

पानी का तेजी से हो रहा दोहन सबसे बड़ी समस्या है, जैसा कि श्रीमाधोपुर के रमाशंकर जी ने 'आपकी चिट्ठी मिली' में लिखा है। पिछले साल प्रदेश में हुई अच्छी बरसात के बावजूद भूजल स्तर नहीं बढ़ पाया। अधिकतर ब्लॉक डार्क जोन हो चुके हैं। अगर बारिश के पानी को नहीं सहेजेंगे तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे। प्रदेश में पानी की इस भयंकर किल्लत और भौगोलिक स्थितियों के मद्देनजर राज्य को विशेष दर्जा मिलना ही चाहिए।

पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के इन हालातों को योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेकसिंह अहलूवालिया के सामने भी रखा था। लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार ज्यादा पानी का दोहन करने वालों पर टैक्स लगाए।

किसानों को सस्ती बिजली देना अच्छा है, लेकिन यह पानी के दोहन और उसके प्रबन्धन के लिहाज से घातक है। कृषि में नई तकनीक अपनाकर पानी की फिजूल खर्ची को रोका जा सकता है। इससे किसानों की फसल भी अच्छी होगी और उन्हें अच्छा लाभ भी मिल सकेगा। उन्होंने राष्ट्रीय भूजल नीति को प्रभावी बनाने की आवश्यकता जताई।

कानूनी जानकारी

भरण-पोषण का अधिकार

गोमती के पति का तीन वर्ष पूर्व निधन हो गया था। उसके तीन बेटे हैं, जो शहर में अपनी पत्नी एवं पुत्रों के साथ रहते हैं। सभी अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन अपनी माँ की सार-संभाल वे नहीं करते। उसकी उम्र भी इस लायक नहीं है कि वह अपने गुजर-बसर के लिए कोई काम-धन्धा कर सके। उसने अपने बेटों को कुछ रुपया देने के लिए कई खत भी लिखे, पर वे उसे फूटी कोड़ी भी देने को तैयार नहीं हैं। भला अब वह क्या कर सकती है?

- वह अपने भरण-पोषण के लिए अदालत में बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकती है।
- कानून की धारा 125 की उपधारा (1) (घ) में भरण-पोषण करने में असमर्थ माता-पिता को उसके बेटों से भरण-पोषण का खर्चा मंजूर करने का उपबन्ध है। जिसमें माता-पिता को फायदा दिया जाता है।
- उसके बेटे उसे भरण-पोषण के लिए रुपया देने से मना नहीं कर सकते। अदालत तीनों बेटों को उसे प्रतिमाह एक मुश्त रकम देने के आदेश दे सकती है।
- वह यह मुकदमा किसी स्वयं सेवी संस्था या गांव के किसी व्यक्ति की सहायता से दर्ज करा सकती है। अदालत उसे पैरवी के लिए मुफ्त वकील व अन्य सुविधाएं मुहैया कराएगी।
- अदालत सभी बेटों की कमाई के अनुसार भरण-पोषण की राशि निश्चित कर उसे दिलायेगी, ताकि वह अपना अच्छी तरह जीवन निर्वाह कर सके।
- ऐसे माता-पिता पुत्र के न होने पर अपनी विवाहित पुत्री से भी गुजारा-भत्ता मांग सकते हैं, बशर्ते पुत्री के पास स्वतंत्र व अपनी खुद की कमाई के पर्याप्त साधन हो।

उपभोक्ता फैसले

बिना वजह पेयजल कनेक्शन काटा, अब देना होगा एक लाख का हर्जाना

टोंक रोड स्थित वसुंधरा कॉलोनी निवासी कालूराम ब्याडवाल ने जलदाय विभाग के खिलाफ उपभोक्ता मंच, जयपुर में परिवाद दर्ज कराया। उन्होंने मंच को बताया कि वह समय पर पानी के बिल का भुगतान करते रहे हैं। उन पर कोई बकाया राशि नहीं होने के बावजूद बिना किसी सूचना के 4 मई, 2008 को जलदाय विभाग ने उनका पानी का कनेक्शन काट दिया। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने गलती से कनेक्शन काटना बताया। लेकिन विभाग में चक्कर लगाने के बावजूद उनका पेयजल कनेक्शन नहीं जोड़ा गया।

मामले की सुनवाई पर मंच ने माना कि जलदाय विभाग ने पानी का कनेक्शन नहीं जोड़ कर सेवा दोष किया है। इससे उपभोक्ता को तीन साल तक बिना किसी कारण के सरकारी पेयजल सेवाओं से वंचित रहना पड़ा।

मंच ने जलदाय विभाग को आदेश दिया कि वह एक महीने में कालूराम का जल कनेक्शन वापस जोड़े। साथ ही मानसिक संताप की क्षतिपूर्ति स्वरूप उन्हें एक लाख रुपया भी दे। मंच ने इसमें से पचास हजार रुपए राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में देने को कहा है। मंच ने परिवाद व्यय के तौर पर कालूराम को 3000 रुपए भी दिलवाए।

जिला स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम

जागरूक उपभोक्ता आगे आएं

जिला रसद अधिकारी श्याम सुंदर शर्मा जन संवाद कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए

उपभोक्ता आंदोलन का वातावरण बनाने के लिए शिक्षित उपभोक्ता के बजाय जागरूक उपभोक्ता को प्रशिक्षित कर उन्हें आगे लाना होगा। इससे उपभोक्ता सर्वोपरि की परिपाटी प्रतिपादित हो सकेगी।

यह विचार श्याम सुंदर शर्मा, जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने कट्स द्वारा 'ग्रेनिर्का' परियोजना के तहत 03 मई 2011 को चित्तौड़गढ़ में आयोजित जिला स्तरीय जन संवाद कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। कट्स परियोजना समन्वयक अमरजीत सिंह ने बताया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग के सहयोग से राज्य के बारह जिलों में यह परियोजना संचालित की जा रही है। इसका खास मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता जागृति का वातावरण तैयार कर, हर ब्लॉक स्तर पर उपभोक्ता सन्दर्भ समूह तैयार करना है। जिससे आम उपभोक्ता को समय पर उचित सलाह व परामर्श मिल सके।

इस अवसर पर अधिवक्ता चांदमल गर्ग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जानकारी दी और उपभोक्ताओं को जागरूक होकर शोषण का मुकाबला करने के लिए प्रेरित किया।

जनसंवाद के दौरान ग्रामीण उपभोक्ता पहाड़सिंह, कनकमल, भूपराज मेहता, गंगाधर सोलंकी, प्रवीण मेहता व भगवानलाल शर्मा सहित कई संभागियों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उपभोक्ता अनुकूल बनाने के सुझाव दिए।

गांवों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी पढ़ाई

अजमेर जिले के 247 ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों के बच्चे कम्प्यूटर से उपयोगी जानकारी ले सकेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इंटरनेट सुविधा मिलने से इन बच्चों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। दूर बैठे विषय विशेषज्ञ अध्यापक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें पढ़ा सकेंगे। केन्द्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री सचिन पायलट की पहल पर हाल ही इस योजना की शुरुआत की गई है।

योजना के तहत स्कूलों में कम्प्यूटर लैब स्थापित करने का काम शुरू हो गया है। हर लैब में पांच कम्प्यूटर, जनरेटर और बड़ी स्क्रीन का एलसीडी व इंटरनेट होंगे। इसके लिए हर स्कूल को 10-10 लाख रुपए की राशि दी गई है। केन्द्र सरकार इस योजना पर कुल 24 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च करेगी। योजना के सफल होने पर प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी योजना को लागू किया जाएगा।

नरेगा के तहत करा सकेंगे खेत में काम

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नरेगा के तहत अपना खेत, अपना काम योजना को मंजूर किया है। इसके तहत बीपीएल, एससी, एसटी लघु और सीमान्त किसानों के खेतों पर व्यक्तिगत लाभ के कामों की अनुमति दी जाएगी। इस योजना में हर जॉब कार्डधारी परिवार को एक लाख 50 हजार रुपए तक की सीमा में व्यक्तिगत लाभ के काम मंजूर किए जा सकेंगे।

योजना के पहले चरण में खेतों में सुधार, सिंचाई व्यवस्था में सुधार के लिए डिग्गी, टांका, खेत, तलाई या पानी के धोरों को पक्का करने, पौधरोपण और बागवानी जैसे कामों को शामिल किया जाएगा।

गांवों का हो विकास

शहरीकरण की समस्या और जनसंख्या के बोझ को कम करने के लिए गांव, कस्बे और छोटे शहरों का विकास होना चाहिए।

राज्य के विधायकों से लेकर समाजसेवी, शिक्षाविद और अन्य प्रबुद्ध लोगों का एक स्वर में यह मानना है कि बड़े शहरों का बोझ कम करने के लिए शहर गांव कस्बे और सेटेलाइट टाउन विकसित करने होंगे। सभी का मानना है कि गांवों के विकास से शहरीकरण की समस्या से निजात मिल सकेगी और गांवों से शहरों की ओर पलायन रुकेगा।

बेटियों को किसके भरोसे भेजें स्कूल?

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों उदयपुर जिले के आदिवासी क्षेत्र झाड़ोल और कोटड़ा के कई गांवों का दौरा किया। आदिवासियों ने उन्हें जन्मदिन की मुबारक देते हुए ढेरों शिकायतें की। पानरवा गांव में आदिवासियों ने उन्हें बताया कि वे अपनी बेटियों को किसके भरोसे स्कूल भेजे? सरकारी स्कूलों में शिक्षक आते ही नहीं हैं और जो आते हैं वे शराब के नशे में होते हैं।

उनकी ज्यादातर शिकायतें शिक्षा, बिजली, पानी, पेंशन, स्वास्थ्य और अन्य सरकारी योजनाओं से सम्बन्धित थीं। आदिवासियों का कहना था कि उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

गरीबों के गेहूं की कालाबाजारी

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को शिकायत मिली कि अलवर जिले के खेड़ली गंज कस्बे में राशन डीलर रामावतार क्षेत्र के अन्य राशन डीलरों से एपीएल, बीपीएल, अन्नपूर्णा व अंत्योदय योजना के तहत मिलने वाले गेहूं, चीनी, केरोसिन व आटे को खरीद कर बाजार में ऊंचे दामों पर बेचता है।

ग्रामीणों से मिली इस शिकायत पर राशन डीलर रामावतार खंडेलवाल के गोदाम पर ब्यूरो ने छापा मारा। गोदाम से ब्यूरो अधिकारियों ने राशन का करीब ढाई हजार क्विंटल गेहूं जब्त किया। रामावतार द्वारा आसपास के राशन डीलरों से मिलीभगत कर यह गेहूं कालाबाजारी के लिए जमा किया गया था।

बीड़ी पी तो उतार दिए जाओगे बस से

आपको यदि सिगरेट या बीड़ी पीने की लत है और आप बस से सफर कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। रोडवेज अब बस में धूम्रपान करने वाले को वहीं उतार देगी जहां वह ऐसा करता नजर आएगा। हालांकि रोडवेज की बसों में धूम्रपान करना पहले से ही निषेध है, लेकिन अब तक इस पर 50 रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान था। इसे बढ़ाकर अब 200 रुपए कर दिया गया है और चलती बस से उतारने का भी फैसला किया है।

इसके अलावा आप रोडवेज बस स्टैंड पर भी धूम्रपान करते पाए गए तो 200 रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इस सख्ती से रोड़वेज कर्मचारी, ड्राइवर व कण्डक्टर भी नहीं बच पाएंगे। बस या बस स्टैंड पर धूम्रपान करते पाए जाने पर उन्हें हर्जाने के रूप में अपनी वेतनवृद्धि से भी हाथ धोना पड़ेगा।

गांवों में नहीं मिल रहा पीने का पानी

प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। भूजल स्तर नीचे जाने के कारण कई जिलों के नगरीय व दूर-दराज के गांवों के हजारों हैंडपम्प और ट्यूबवैल नकारा हो चुके हैं।

इससे लोगों को पानी की किल्लत का भारी सामना करना पड़ रहा है। कई गांवों में तो टैंकरों से भी पानी सप्लाई नहीं हो रहा। वहां लोग एक घड़े पानी के लिए भी तरस रहे हैं।

अलवर जिले के बहरोड़ क्षेत्र के गांव महाराजावास व रिवाली में सभी हैंडपम्प सूखे पड़े हैं। सरकार ने पूरी बहरोड़ पंचायत समिति क्षेत्र को डार्क जोन घोषित किया हुआ है।

इससे नए नलकूपों की खुदाई पर भी रोक है। पहुंच वाले लोगों ने अवैध रूप से बोरिंग खुदवा रखे हैं और उसका फायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही।

पूरे महीने खुलेंगी राशन की दुकानें

प्रदेश में राशन की सभी 23 हजार दुकानों पर अब पूरे महीने राशन मिलेगा। राशन की दुकानों को साप्ताहिक अवकाश को छोड़कर किसी भी दिन बंद नहीं रखा जा सकेगा। साप्ताहिक अवकाश का दिन जिला कलेक्टर निर्धारित करेंगे। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने यह नई व्यवस्था लागू की है।

राशन की दुकानों के खुलने का समय एक अप्रेल से 30 सितम्बर तक सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा एक अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक का रहेगा।

आपकी चिट्ठी मिली

आपका 'ग्राम गदर' और 'पांचवा स्तम्भ' बराबर पढ़ने को मिलता है। प्रदेश में भ्रष्टाचार और वस्तुओं में मिलावट करके अनैतिक रूप से धन अर्जित करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इन असामाजिक गतिविधियों पर जल्द ही अंकुश लगाना होगा। सरकार को मिलावट और भ्रष्टाचार रोकने के लिए कठोर कानून बनाने चाहिए। सम्बन्धित मुकदमों का जल्द फैसला हो ऐसी व्यवस्था भी जरूरी है।

दोषियों को सख्त सजा मिले। इसके लिए कानून में आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड जैसे प्रावधान होने चाहिए। हाल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ऐसे कठोर कानून बनाने की मंशा व्यक्त की है। जरूरी यह भी है कि भ्रष्टाचार और मिलावट से जिसने भी जो सम्पत्ति अर्जित की हो, उसे तुरन्त जब्त कर सरकारी खजाने में जमा कर लिया जाए।

-देवदत्त शर्मा, आमेर रोड, जयपुर

पानी की अनदेखी, मतलब बहुत बड़ा नुकसान! राजस्थान की स्थिति तो और भी विकट है। इस बात से प्रदेश का हर व्यक्ति वाकिफ है। लगातार भूमिगत जलस्तर नीचे जाने से प्रदेश के कई क्षेत्र डार्क जोन घोषित हो गए हैं। प्रदेश के अनेक गांव फ्लोराइड और खारे पानी की समस्या से ग्रस्त है। कई स्थानों पर तो पानी पीने योग्य भी नहीं है। वहां लोग कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।

ऐसे में हम सभी की यह जिम्मेदारी बनती है कि पानी के अपव्यय को रोका जाए। पानी की बचत के साथ-साथ घरों व खेतों में वर्षा जल संरक्षण के उपाय करें। हम बारिश के पानी को सहेजें। राज्य सरकार भी गिरते भूजल स्तर को देखते हुए वर्षा जल पुनर्भरण पर खास जोर दे रही है।

-रमाशंकर व्यास, श्री माधोपुर

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स', जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोन: 228 2821 से 23 फैक्स: 0141-228 2485